



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262829
CG-DL-E-02052025-262829

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(10)/2024.—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण-

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन करने या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में,-
(ए) विनियमन 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (आईई) में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) विनियमन 7 में, -

(i) उप-विनियम 1 में, खंड 1 (क) में, -

i. उपरोक्त सारणी में, क्रम संख्या 5 में, “बोली मानदंड” शीर्षक के अंतर्गत, “स्टील पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम 1 में, खंड 1(बी) में, -

i. उपरोक्त सारणी में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शीर्षक को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया जाता है, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण 1: उन गैस क्षेत्रों के मामले में जहां केवल स्टील पाइपलाइन को इंच-किलोमीटर लक्ष्य के कार्य कार्यक्रम का एक भाग दिया गया है, इंच-किलोमीटर के लिए एमडीपीई पाइपलाइन पर विचार कार्य कार्यक्रम लक्ष्यों के लिए स्टील पाइपलाइन की वास्तविक लागत प्रतिबद्धता के अधीन है, जैसा कि पहले से पीएनजीआरबी को एफसी के दौरान प्रस्तुत डीएफआर में दर्शाया गया है।

स्पष्टीकरण का उदाहरण 1: यदि प्राधिकृत नगर गैस वितरण (सीजीडी) इकाई ने 8 अनुबंध वर्षों के लिए इस्पात-इंच किलोमीटर पाइपलाइनों के लिए, जैसे कि 100 करोड़ रुपये की लागत की परिकल्पना की है, और वर्ष-दर-वर्ष इस संचयी लागत को 5, 20, 40, 60, 70, 80, 90 और 100 करोड़ रुपये में विभाजित किया है, तो एमडीपीई पाइपलाइन को केवल तभी कार्य कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जब इस्पात और एमडीपीई पाइपलाइन के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के लिए प्रतिबद्ध वास्तविक लागत संचयी रूप से प्राप्त हो जाए।

यदि, इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन का लागत विवरण डीएफआर में नहीं दर्शाया गया है, जैसा कि ऊपर दिया गया है, तो इसे डीएफआर में दी गई संख्या में कोई परिवर्तन किए बिना कंपनियों द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा प्राधिकृत इकाई को इंच-किलोमीटर लक्ष्य के कार्य कार्यक्रम में एमडीपीई पाइपलाइन का दावा करने का लाभ नहीं दिया जाएगा।

उपरोक्त का दावा करने के लिए, प्राधिकृत कंपनी द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर डीएफआर बनाम वास्तविक लागत प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने वाला एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण 2: कार्य कार्यक्रम के लक्ष्य में एमडीपीई पाइपलाइन पर विचारार्थ प्रयोजन के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि, मूल रूप से प्रस्तावित डीएफआर के अनुसार इंच-किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन विद्वाने के लिए दर्शर्दि गई लागत को इस प्रयोजन के लिए इंच-किलोमीटर में एमडीपीई पाइपलाइन पर विचार करते समय बाहर रखा जाएगा।

(iii) विनियमन उप-विनियम (3) में, परंतुक में, शब्द “इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन” को “इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सी) विनियमन 10 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, दूसरे परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा

“इसके अलावा यह भी प्रावधान है, कि प्राधिकरण के अनुदान को स्वीकार न करने और निर्धारित समय के भीतर प्रदर्शन बंधपत्र (बांड) जमा न करने की स्थिति में, सफल कंपनी के पक्ष में प्राधिकरण का अनुदान रद्द कर दिया जाएगा तथा बोली बांड जब्त या नकद लिया जाएगा और ऐसी बोलीदाता कंपनी को

दोषी माना जाएगा एवं उसे बोली लगाने से कम से कम तीन साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एलओआई जारी करने और दूसरे सबसे अधिक समग्र स्कोर वाली बोलीदाता कंपनी को प्राधिकरण प्रदान करने की प्रक्रिया उसी तरह से की जाएगी जैसा कि विनियमन 7 के उप-विनियमन (3) में निर्दिष्ट है।”

(ii) उप-विनियम (3) में, शब्द “सौंपे गए” के पश्चात् शब्द “या त्यागे गए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iii) उप-विनियम (3) में, पहले परंतुक में, शब्द “किसी अन्य भागीदार के मुकाबले कम से कम प्रतिशत हिस्सेदारी न रखना” शब्दों को “किसी में उच्चतम/संयुक्त उच्चतम हिस्सेदारी बनाए रखना” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) उप-विनियम (3) में, चतुर्थ परंतुक इस प्रकार जोड़ा जाएगा:
- “इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है, कि इन विनियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत कंपनी द्वारा किया गया कोई भी हस्तांतरण, समनुदेशन या त्याग, शुल्क भुगतान और शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।”
- (v) उप-विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “पांच वर्ष की समाप्ति के बाद या पांच वर्षों के संविदा की समाप्ति तक संचयी कार्य कार्यक्रम प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, किसी अन्य इकाई के पक्ष में प्राधिकरण का परित्याग करने का इरादा रखने वाली कंपनी] बोर्ड (जिस इकाई के पक्ष में परित्याग प्रस्तावित है, उसके द्वारा यह वचनबद्धता भी शामिल है, कि परित्याग की तिथि से प्रभावी, उत्तराधिकारी इकाई इन विनियमों या अधिनियम के तहत प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध लगाए गए किसी भी और सभी लागतों, दावों, हानि, क्षति और व्ययों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी (ऐसे परित्याग से पहले या बाद में किए गए कार्यों और चूक के लिए) होगी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा वहन की जाने वाली लागत की जानकारी कम से कम तीस दिन पहले देनी होगी तथा बोर्ड द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध करानी होगी। वह इकाई, जिसके पक्ष में त्याग प्रस्तावित है, उसको भी बोर्ड द्वारा बैठक के लिए बुलाया जा सकता है और वह कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी, जिसे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।”
- (vi) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “बोर्ड स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात् कि प्रस्ताव सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार की मौजूदा या प्रस्तावित गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, प्रस्ताव को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा या ऐसे संशोधनों के साथ जैसा वह उचित समझे, स्वीकार करेगा तथा ऐसे मामले में जहां बोर्ड द्वारा किसी अन्य इकाई को सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार की गतिविधियों को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जाती है, ऐसी इकाई को प्राधिकरण की मौजूदा या संशोधित शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें सेवा दायित्वों का अनुपालन और सेवा मानकों की गुणवत्ता का पालन करना शामिल है, इसके अलावा किसी भी पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए बाध्य होना होगा, जिसमें किसी भी बकाया राशि का निपटान या इन विनियमों या अधिनियम के तहत अधिकृत इकाई के खिलाफ लगाए गए किसी भी दंड का भुगतान शामिल है, जिसे त्याग देने से पहले बोर्ड द्वारा लगाया जा सकता है:-
- बशर्ते कि नई इकाई के पक्ष में ऐसा त्याग केवल तभी प्रभावी होगा जब बोर्ड द्वारा रखी गई सभी पूर्व-शर्तें, जिसमें नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करना भी शामिल है, ऐसी इकाई द्वारा पूरी कर ली जाएँ।
- बशर्ते कि बोर्ड के पास सार्वजनिक हित में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा ऐसे मामले में बोर्ड ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में उपलब्ध कराएगा।”
- (डी) विनियमन 11 में,-
- (i) उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “इन विनियमों या अधिनियम के तहत निहित किसी अन्य विनियमन में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि इकाई उप-विनियम (3) के तहत उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो इकाई को सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकरण का अनुदान रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रदर्शन बंधपत्र को भुनाया जाएगा। बोर्ड के पास पारदर्शी तरीके से प्राधिकरण को फिर से प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित है। जिस इकाई का प्राधिकरण वर्तमान उप-विनियम के तहत रद्द किया जाता है, उसे बोर्ड के खिलाफ ऐसे रद्दीकरण के कारण किसी भी मुआवजे या उपाय की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) उप-विनियम (5) के प्रथम और द्वितीय प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“बशर्ते कि यदि इकाई उप-विनियमन (3) में निर्दिष्ट अनुसार 270 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे 270 दिनों की अवधि की समाप्ति से कम से कम दस दिन पहले समय विस्तार के लिए अपने अनुरोध के साथ बोर्ड से संपर्क करना होगा। इस तरह के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि 270 दिनों के भीतर वित्तीय समापन न होने के कारण वास्तविक हैं और इकाई के नियंत्रण से बाहर हैं, तो बोर्ड वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए इकाई को एक बार में 30 दिनों से अधिक का विस्तार प्रदान नहीं करेगा। बोर्ड किसी भी इकाई को दो से अधिक ऐसे विस्तार प्रदान नहीं कर सकता है तथा इकाई द्वारा दूसरे विस्तार के लिए अनुरोध पहले विस्तार की अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए।”

(ई) विनियमन 12 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, शब्द “इन विनियमों के प्रावधानों के विषय” को आरंभ में डाला जाएगा।
- (ii) उप-विनियम (2) में, -
 - i. शब्द “विशिष्टता” के पश्चात्, शब्द “क्लूट की अवधि” शब्द जोड़ा जाएगा।
 - ii. प्रथम परंतुक में, शब्द “विशिष्टता” के पश्चात्, शब्द “अनुबंध वाहक या सामान्य वाहक के दायरे से क्लूट की अवधि” जोड़ा जाएगा।
 - iii. द्वितीय परंतुक में, शब्द “विशिष्टता” के पश्चात्, शब्द “अनुबंध वाहक या सामान्य वाहक के दायरे से क्लूट की अवधि” को शामिल किया जाएगा।
 - iv. तृतीय परंतुक में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एफ) विनियमन 13 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, शब्द “करेगा” के पश्चात्, शब्द “करने के लिए बाध्य होगा” जोड़ा जाएगा।
- (ii) उप-विनियम (1) में, “प्रदान करना” शब्द के पश्चात्, “बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्” शब्द जोड़ा जाएगा।
- (iii) उप-विनियम (3) में, अंत में, शब्द “जिसमें ‘इकाई’ ‘बोर्ड’ द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर करने के लिए बाध्य होगी, ऐसा न करने पर इकाई अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी, वर्तमान विनियमों के तहत उस पर लगाए जा सकने वाले किसी भी दंड के अलावा” को शामिल किया जाएगा।

(जी) विनियमन 16 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, “विनियम” शब्द के पश्चात्, “और इन विनियमों के तहत बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण में” शब्द जोड़े जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों के स्थान पर “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) उप-विनियम (2) के खंड (ग) में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) उप-विनियम (3) के खंड (क) में, “उसे उचित अवधि प्रदान करते हुए” शब्दों के स्थान पर “चूक को इंगित करते हुए तथा ऐसी चूक को सुधारने के लिए समय अवधि निर्दिष्ट करते हुए” शब्द रखे जाएंगे।
- (v) उप-विनियम (3) के खंड (ख) में, शब्द “के भीतर” के पश्चात् शब्द “ऐसे” को “विनिर्दिष्ट अवधि” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) उप-विनियम (5) में, -
 - i. स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों के स्थान पर “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्द रखे जाएंगे।

- ii. शब्द “प्राधिकरण” के पश्चात् तथा शब्द “के तहत” के पूर्व शब्द “प्रदान किया गया” रखा जाएगा।
- iii. शब्द “हो सकता है” के स्थान पर शब्द “करेगा” रखा जाएगा।
- iv. शब्द “पूछना” के पश्चात् “के रूप में” शब्द जोड़ा जाएगा।
- v. “क्यों” शब्द के बाद “ऐसा क्यों है” शब्द को हटा दिया जाएगा।
- vi. “सुना” शब्द के बाद “हो सकता है” शब्द को जोड़ा जाएगा।
- (vii) उप-विनियम (5) में, उदाहरण में, संख्या “100” और “500” के पश्चात्, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) उप-विनियम (5) में, उदाहरण के तौर पर, तालिका में, पैरामीटर के अंतर्गत, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एच) विनियम 19 में,-

- (i) शब्द “उद्देश्य” के पश्चात् शब्द “या” को शब्द “का” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) शब्द “हटाना” के पश्चात् शब्द “ऐसा” जोड़ा जाएगा।

(i) अनुसूची-सी में, भाग II: वित्तीय बोली में, क्रम संख्या ई पर तालिका में, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्दों को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(जे) अनुसूची-सी (1) के खंड (डी) में, “स्टील पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों के स्थान पर “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्द रखे जाएंगे।

(के) अनुसूची डी में,-

- (i) खंड (3) में, क्रम संख्या (3) की तालिका में, कार्य के विवरण में, शब्द “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) खंड (3) में, तालिका में, “वैकल्पिक रूप से” शब्द के पहले, “स्टील पाइपलाइन का इंच-किलोमीटर” शब्द को “स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन का इंच किलोमीटर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) खंड (16) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्,-

“17. इकाई अपने परिचालन को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही सीमित रखेगी तथा किसी भी परिस्थिति में, विनियमों के तहत अनुमत सीमा को छोड़कर, अपने भौगोलिक क्षेत्र के बाहर कोई परिचालन नहीं करेगी।”

(iv) अनुसूची-डी के अंतिम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“कृपया तीस दिनों की अवधि के भीतर नीचे दिए गए प्राधिकरण के अनुदान की स्वीकृति को भरकर अपनी स्वीकृति की पुष्टि करें तथा इसे मूल रूप में वापस करें। कृपया ध्यान दें, कि निर्धारित समय अवधि के भीतर स्वीकृति न मिलने की स्थिति में आपके पक्ष में दिया गया प्राधिकरण रद्द माना जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, कि इन विनियमों के तहत प्राधिकृत इकाई के दायित्व बोर्ड द्वारा प्राधिकरण दिए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे और किसी भी तरह से इकाई द्वारा प्राधिकरण स्वीकार किए जाने की तिथि से संबंधित नहीं होंगे।”

अनुसूची-ई में:

- (i) (i) खंड ए में,-

i. ई1 (मासिक) में, अंत में “बिल किए गए डीपीएनजी कनेक्शन” शब्द जोड़े जाएंगे।

ii. ई5 (मासिक) के बाद, निम्नलिखित को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“ई6 (मासिक)–एपीएम आवंटन, आरएलएनजी (एससीएम) और सीबीजी (एससीएम) (जीए वार)

ई7 (मासिक) – कैपेक्स और ओपेक्स (जीए वार)।”

- (ii) खंड ई में, प्रारूप: ई1 में, शीर्षक “पीएनजी कनेक्शन के प्रकार” के अंतर्गत, पंक्ति “घरेलू” से पहले, “बिल किए गए डीपीएनजी कनेक्शन” के लिए एक पंक्ति जोड़ी जाएगी।
- (iii) खंड ई में, ई5 प्रारूप के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप जोड़े जाएंगे:

अनुसूची ई: प्रारूप: ई6 (सीजीडी)		एपीएम आवंटन, आरएलएनजी और सीबीजी पर मासिक रिपोर्ट		
एपीएम आवंटन		आरएलएनजी और सीबीजी		
घरेलू एपीएम	सीएनजी एपीएम	कुल आवंटन	आरएलएनजी	सीबीजी

अनुसूची ई: प्रारूप: ई7 (सीजीडी)			कैपेक्स और ओपेक्स पर मासिक रिपोर्ट		
कैपेक्स			ओपेक्स		
पिछले महीने की स्थिति	चालू माह के लिए	संचयी (आरंभ से अब तक)	पिछले महीने की स्थिति	चालू माह के लिए	संचयी (आरंभ से अब तक)

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./64/2025-26]

पाद टिप्पणी:

- मुख्य विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(1) में दिनांक 19 नवंबर, 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर. 196(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर. 800(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2009, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(1) में दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर. 295(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 7 जून, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर. 478(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर. 605(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 जून, 2013 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/समीक्षा-2011/2012-III के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 7

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(10)/2024.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

2. Short title and commencement, -
 - (3) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2025.
 - (4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -
 - (a) in Regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ie), the words “Inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch-kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
 - (b) in Regulation 7, -
 - (i) in sub-regulation 1, in clause 1(a), -
 - i. in table above the proviso, at Sl. No. 5, under the head “Bidding Criteria”, the words given “inchkilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words, “inchkilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
 - (ii) in sub-regulation 1, in clause 1(b), -
 - i. in table above the proviso, the head “Inch-km of steel pipeline”, shall be substituted with the words, “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
 - ii. at the end, the following clarification shall be inserted, namely: -

“Clarification 1: In case of the GAs where only steel pipeline is given as a part of work programme of Inch-km target, the consideration of MDPE pipeline in inch-km for the purpose of work programme targets is subject to the actual cost commitment of the inch-km steel pipeline as indicated in DFR already submitted to PNGRB during FC.

Example to Clarification 1:

If the authorized CGD entity has envisaged a cost of say, Rs. 100 crores for laying steel-inch km pipelines for 8 contract years, and year on year basis this cumulative cost is divided say as Rs. 5, 20, 40, 60, 70, 80, 90 and 100 crores, then MDPE pipeline will be counted in work programme for inch-km target only when the actual cost committed towards inch-km pipeline is achieved cumulative for steel and MDPE pipeline on year on year basis.

In case, cost breakup of the inch-km steel pipeline is not indicated in DFR, as given above, the same shall be submitted by entities without changing any numbers given in DFR, within one month of notification of these Regulations, failing which authorized entity will not be given benefit of claiming MDPE pipeline in work programme of inch-km target.

In order to claim the aforesaid, a CA certificate clearly certifying the DFR Vs actual cost commitment on year-on-year basis must be submitted by the authorized entity.

Clarification 2: It may be noted that for the purpose of consideration of MDPE pipeline in the work programme target, the cost indicated towards laying inch-km MDPE pipeline as per DFR originally proposed shall be excluded while considering MDPE pipeline in inch-km for this purpose.”

(iii) In regulation sub-regulation (3), in proviso, the words “inch-kilometer steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch-kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.

(c) In regulation 10, -

(i) in sub-regulation (1), the second proviso, shall be substituted as under:

“Provided further that in case of non-acceptance of the grant of authorization and non-submission of performance bond within the stipulated time, the grant of authorisation in favour of the successful entity shall stand revoked and the bid bond shall be forfeited or encashed and such bidder entity shall be considered at default and shall be barred for a minimum period of three years from bidding. Further, the process of issuance of LOI and grant of authorisation to the bidder entity with second highest composite score shall be carried out in the same manner as specified in sub-regulation (3) of regulation 7.”

(ii) in sub-regulation (3), after the word “assigned”, the words “or renunciated” shall be inserted.

(iii) in sub-regulation (3), in first proviso, the words “hold not less than the percentage stake lower than any other partner” shall be substituted with “continue to hold the highest/joint highest shareholding in the entity”.

(iv) in sub-regulation (3), fourth proviso shall be inserted as under:

“Provided further that any transfer or assignment or renunciation made by an authorised entity under these Regulations is going to be subject to payment of fees and conditions, as may be specified by the Board in this regard.”

(v) sub-regulation (4), shall be substituted as under:

“The entity intending to renounce the authorization in favour of another entity after the end of the five years or till achievement of cumulative work programme to be achieved by the end of five contract years, whichever is earlier] shall submit a proposal to the Board, (including an undertaking by the entity, in whose favour the renunciation is proposed to happen, that effective from the date of renunciation, the successor entity shall be solely responsible for any and all costs, claims, losses, damages and expenses as levied against the authorised entity under these Regulations or the Act (for acts and omissions either before or after such renunciation) which may be incurred or suffered by any third party arising from laying, building, operating or expanding the CGD network at least thirty days in advance and shall provide all information as may be called for by the Board. The entity, in whose favour the renunciation is proposed to happen, may also be called for a meeting by the Board and it shall be bound to furnish any information, which it may be called upon to do by the Board.”

(vi) sub-regulation (5), shall be substituted as under:

“The Board after satisfying itself that the proposal will not adversely affect the existing or proposed activities of laying, building, operating or expansion of the CGD network shall either accept the proposal in full or with such modifications as it may deem fit and in a case where another entity is permitted by the Board to take over the activities of laying, building, operating or expanding the CGD network, such entity shall abide by the existing or modified terms and conditions of the authorization, including compliance with the service obligations and adherence to the quality of service standards, apart from being

obligated to fulfill any pre-conditions, including clearance of any outstanding dues or payment of any penalty as levied against the authorised entity under these Regulations or the Act, which may be imposed by the Board before grant of renunciation:-

Provided that such renunciation in favour of the new entity shall only be effective when all the pre-conditions laid by the Board, including submission of new bank guarantee(s), are fulfilled by such entity. Provided that the Board reserves the right to reject the proposal in public interest and in such a case the Board shall provide in writing the reasons for such rejection.”

(d) In Regulation 11, -

(i) sub-regulation (5), shall be substituted as under:

“Notwithstanding anything contained in these regulations or any other regulation contained under the Act in case the entity fails to meet the above requirements under sub-regulations (3), the grant of authorization of the entity for laying, building, operating or expanding the CGD network shall be cancelled and the performance bond shall be encashed, with the Board reserving the right to re-award the authorization in a transparent manner. The entity, whose authorization is cancelled under the present sub-regulation, shall have no right whatsoever for seeking any compensation or remedy on account of such cancellation, against the Board.

(ii) sub-regulation (5), first and second proviso, shall be substituted as under:

“Provided that in case the entity is not in a position to achieve the financial closure within 270 days, as specified in sub-regulation (3), it shall, at least ten days before the expiry of the period of 270 days, approach the Board with a request for an extension of time. Such a request shall be considered by the Board and in case the Board is satisfied that the reasons for non-achievement of financial closure within 270 days are bona-fide and beyond the control of the entity, the Board shall grant an extension, not exceeding 30 days at a time, to the entity for achievement of financial closure. The Board may not grant more than two such extensions to any entity, with the request for a second extension being made by the entity at least three days prior to the expiry of the period of the first extension.”

(e) In Regulation 12, -

(i) in sub-regulation (1), the words “Subject to the provisions of these regulations”, shall be inserted in the beginning.

(ii) in sub-regulation (2), -

i. After the word “exclusivity”, the words “period for exemption” shall be inserted.

ii. In first proviso, after the word “exclusivity”, the words “period for exemption from purview of contract carrier or common carrier” shall be inserted.

iii. In second proviso, after the word “exclusivity”, the words “period for exemption from purview of contract carrier or common carrier” shall be inserted.

iv. In third proviso, the words “Inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch-kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.

(f) In Regulation 13, -

(i) in sub-regulation (1), after the word “shall”, the words “be bound to” shall be inserted.

(ii) in sub-regulation (1), after the word “provide,”, the words “post grant of authorization by the Board” shall be inserted.

(iii) in sub-regulation (3), in the end, the words “which the entity shall be bound to undertake within the time period stipulated by the Board, failing which the entity shall be liable for action under Section

28 of the Act, apart from any penalty which may be imposed on it under the present Regulations” shall be inserted.

(g) In Regulation 16, -

- (i) in sub-regulation (1), after the word “regulations”, the words “and in the authorization granted by the Board under these regulations” shall be inserted.
- (ii) in sub-regulation (2), clause (b), the words “inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch-kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (iii) in sub-regulation (2), clause (c), the words “inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch-kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (iv) in sub-regulation (3), clause (a), the words “allowing it a reasonable period”, shall be substituted with the words “indicating the default and specifying the time period to rectify such default and”.
- (v) in sub-regulation (3), clause (b), after the word “within”, the word “such” shall be substituted with the words “the specific period”.
- (vi) in sub-regulation (5),-
 - i. the words “inch-kilometer of steel pipeline” shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
 - ii. after the word “authorisation” and before the word “under”, the word “granted” shall be inserted.
 - iii. the word “may” shall be substituted with the word “shall”.
 - iv. after the word “asking it”, the words “as to” shall be inserted.
 - v. the word “such” after the word “why its” shall be omitted.
 - vi. after the word “heard”, the word “may” shall be inserted.
- (vii) in sub-regulation (5), in illustration, after the numbers “100” and “500”, the words “inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (viii) in sub-regulation (5), in illustration, in table, under Parameter, the words “inch-kilometer of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.

(h) in regulation 19, -

- (i) after the word “purpose”, the word “or”, shall be substituted with the word “of”.
- (ii) after the word “removing”, the word “such” shall be inserted.
- (i) in Schedule-C, in Part II: Financial Bid, in table at Sl. No. E, the words “inch-kilometer of steel pipeline” shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (j) in Schedule-C (1), in clause (D), the words “inch-kilometer of steel pipeline” shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.

(k) in Schedule D, -

- (i) in clause (3), in the table at Sl. No. (3), in description of work, the words “Inch-km of steel pipeline”, shall be substituted with the words “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (ii) in clause (3), in table before the word “alternatively”, the head “Inch-km of steel pipeline”, shall be substituted with the words, “inch kilometer of steel pipeline and MDPE pipeline”.
- (iii) after clause (16), the following shall be inserted, namely,-

“17. The entity shall confine its operations strictly within the boundaries of the Geographical Area authorised to it by the Board and shall under no circumstances, except to the extent permitted under the Regulations, undertake any operations outside its Geographical Area.”

- (iv) The last para of Schedule-D shall be substituted as under:

“Please confirm, within a period of thirty days, your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original. Please note that in case of failure to accept within the stipulated time period, the grant of authorization in your favour shall stand revoked.

It may be further noted that the obligations of the authorised entity under these Regulations take effect from the date of grant of authorization by the Board and are not relatable in any manner to the date of acceptance of the authorization by the entity.”

- (l) In Schedule-E:

- (i) In clause A, -

i. in E1 (Monthly), words “Billed DPNG Connections” shall be inserted at the end.

ii. after E5 (Monthly), the following shall be inserted as under:

“E6 (Monthly) – APM allocation, RLNG (SCM) & CBG (SCM) (GA wise)

E7 (Monthly) – Capex & Opex (GA wise).”

- (ii) in clause E, in Format: E1, under the head “Type of PNG Connections”, before the row “Domestic”, a row for “Billed DPNG Connections” shall be inserted.

In clause E, after E5 format, following formats shall be inserted:

Schedule E: Format: E6 (CGD)			Monthly report on APM allocation, RLNG & CBG	
APM Allocation			RLNG & CBG	
Domestic APM	CNG APM	Total Allocation	RLNG	CBG

Schedule E: Format: E7 (CGD)			Monthly report on CAPEX & OPEX		
CAPEX			OPEX		
As on Previous Month	For the Current Month	Cumulative (Since Inception)	As on Previous Month	For the Current Month	Cumulative (Since Inception)

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./64/2025-26]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th November, 2008, vide G.S.R. 196(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th March, 2008, vide G.S.R. 800(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 30th April, 2009, vide G.S.R. 295(E).

4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 7th June, 2010, vide G.S.R. 478(E).
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th July, 2010, vide G.S.R. 605(E).
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 21st June, 2013, vide F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III.
7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 7th April, 2014, vide F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 1st January, 2015, vide F. No. L-MISC/VI/ I/2007.
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 13th February, 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/AMEND-2015.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th December, 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th March, 2016, vide F. No. VKS/DB/03/CGD.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April, 2016, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2/SC.
13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 6th April, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018.
14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2.
15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 9th November, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3.
16. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Fourth Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 26th November, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4.
17. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th September, 2020, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884).
18. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 8th September, 2021, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(79)/2019(P-770).

19. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th February, 2022, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(79)/2019 (P-770).
20. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 29th March, 2023, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(08)/2020(P-894).
21. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 6th January, 2025, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(5)/2024(E-5303).